रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2013/चैत्र 18, 1935
No. 102] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2013/CHAITRA 18, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 2 अप्रैल, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./पुनर्बीमा/19/77/2013.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी के अधीन गठित सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद तथा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है, अर्थात् :-

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जाने वाली प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के अध्यर्पण प्रतिशत 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक के वर्ष के दौरान किये जाने वाले बीमों के संबंध में 5% होंगे ।

धारा 101ए (4) में प्रावधान किया गया है कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत एक अधिसूचना में इस धारा के अंतर्गत किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी पुनर्बीमा कारोबार से संबंधित शर्तें भी विनिर्दिष्ट की जाएँ तथा ऐसी शर्तें भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और अन्य बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी ।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 101बी के अधीन गठित सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 101ए के अनुपालन में "भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं" को पुनर्बीमा अध्यर्पणों के लिए प्रतिशतता और शर्तें विनिर्दिष्ट करता है ।

श्रेणी	**बीमित राशि में अध्यर्पण की सीमा**	**कमीशन**	**लाभ कमीशन**
अग्नि, आईएआर बड़े जोखिम	रु. 500 करोड़ बीमित राशि (एमडी + एलओपी) प्रति जोखिम		
समुद्री माल (मरीन कार्गो)/ डीएसयू बीमा	रु. 25 करोड़ बीमित राशि प्रति पॉलिसी/बॉटम/प्रेषण	क) तेल और ऊर्जा, एविएशन, समूह स्वास्थ्य बीमा और मोटर टीपी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम 15% ख) समूह स्वास्थ्य बीमे के लिए न्यूनतम 10% ग) मोटर टीपी के लिए न्यूनतम 5% घ) इससे अधिक के लिए साधारण बीमा निगम (जीआइसी) और बीमा कंपनी की आपसी सहमति के अनुसार होगा।	साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति से निर्णय लिया जाए ।
समुद्री पोत (मरीन हल)	प्रति जहाज बीमित राशि 40 करोड़ रुपये		
युद्ध और एसआरसीसी	प्रति जहाज बीमित राशि 40 करोड़ रुपये		
मोटर	कोई सीमा नहीं*		
कामगार क्षतिपूर्ति	कोई सीमा नहीं*		
साधारण एविएशन हल	कोई सीमा नहीं*		
साधारण एविएशन देयता	कोई सीमा नहीं*		
वित्तीय देयता को छोड़क़र सभी देयता उत्पाद	12.5 करोड़ रुपये प्रति पॉलिसी यूएसए को शामिल करते हुए/ 25 करोड़ रुपये प्रति पॉलिसीयूएसए को शामिल न करते हुए		
वित्तीय, क्रेडिट और गारंटी लाइनें, बंधक बीमा, विशेष आकस्मिक पॉलिसियाँ आदि	प्रति घटना 25 करोड़ रुपये बीमित राशि		
अन्य विविध	कोई सीमा नहीं*		
मशीनरी ब्रेकडाउन, बॉयलर विस्फोट तथा लाभ संबंधी हानि	100 करोड़ रुपये प्रति जोखिम		
ठेकेदारों के सभी जोखिम, इरेक्शन संबधी सभी जोखिम, लाभों की अग्रिम हानि, डीएसयू बीमा	प्रति जोखिम 300 करोड़ रुपये (एमडी + एलओपी)		
तेल और ऊर्जा	37.50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जोखिम	5%	
फसल / मौसम बीमा	25 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति घटना	15%	
एविएशन (एअरलाइन्स)	हल पर 75 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जोखिम तथा अन्य बीमों पर तदनुरूप % हिस्सा	औसत शर्तें	

***टिप्पणी :** ऊपर तारांकित किये गये अध्यर्पणों पर "कोई सीमा नहीं" से युक्त श्रेणियों के संबंध में "भारतीय पुनर्बीमाकर्ता"अध्यर्पण करने वाले बीमाकर्ता से अपेक्षा रखेगा कि वह ऐसे अध्यर्पण के संबंध में जोखिम अंकन की जानकारी के

साथ, तत्काल नोटिस भिजवाएगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रति जोखिम की राशि से अधिक हो । इन सीमाओं से अधिक के अध्यर्पण उक्त नोटिस और जानकारी भेजे जाने पर बाध्यकारी होंगे ।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/161/13/असाधारण]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 2nd April, 2013

F.No. IRDA/RI/19/77/2013.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 101A of the Insurance Act, 1938, the Authority, after consultation with the Advisory Committee constituted under section 101B of the Insurance Act, 1938 and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following notification namely:-

The percentage cessions of the sum insured on each General Insurance Policy to be reinsured with the Indian Reinsurer shall be 5% in respect of insurances attaching during the year 1st April, 2013 to 31st March, 2014.

Section 101A (4) provides that a notification under sub-section (2) of Section 101A of the Insurance Act, 1938 may also specify the terms and conditions in respect of any business of re-insurance required to be transacted under this section and such terms and conditions shall be binding on Indian re-insurers and other insurers.

In pursuance of the power conferred by Section 101A of the Insurance Act, 1938 the Authority, in consultation with the Advisory committee constituted under section 101B of the Act, hereby specifies the percentage and terms and conditions for the reinsurance cessions to the "Indian Reinsurer" in compliance with section 101A of the Act.

Class	**Limit of cession in Sum Insured**	**Commission**	**Profit Commission**
Fire, IAR Large risks	Rs. 500 crores Sum Insurance (MD + LOP) per risk	a) Minimum 15% for all classes except Oil & Energy, Aviation, Group Health and Motor TP b) Minimum 10% for group health. c) Minimum 5% for Motor TP d) Anything over and above this can be as mutually agreed between GIC and the Insurance Company.	To be decided mutually between GIC and Insurance Company
Marine Cargo/ DSU Insurance	Rs. 25 crores sum insured per policy/bottom/sending		
Marine Hull	Rs. 40 crores sum insured per vessel		
War & SRCC	Rs. 40 crores sum insured per vessel		
Motor	No Limit*		
Workmen's Compensation	No Limit*		
General Aviation Hull	No Limit*		
General Aviation Liability	No Limit*		
All liability products excluding financial liability	Rs. 12.5 crores per policy including USA/ Rs. 25 crores per policy excluding USA		
Financial, credit and Guarantee lines, mortgage insurance, special contingency policies etc.	Rs. 25 Crores Sum Insured per event		

Other miscellaneous	No Limit*		
Machinery breakdown, Boiler Explosion and related loss of profits	Rs. 100 crores per risk		
Contractor's All Risks, Erection All Risks, Advance Loss of Profits, DSU insurance	Rs. 300 crores per risk (MD + LOP)		
Oil & Energy	Rs. 37.50 crores SI Per Risk	5%	
Crop/ Weather Insurance	Rs. 25 crore SI per event	15%	
Aviation (Airlines)	Rs. 75 crores SI per risk on hull & corresponding %age share on other insurances	Average terms	

* **Note:** In respect of classes with "No Limit" on cessions marked by an asterisk above, the "Indian Reinsurer" may require the ceding insurer to give immediate notice with underwriting information of any cession to it exceeding an amount per risk specified by it. Cessions in excess of such limits will be binding subject to the notice and information been given.

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III/4/161/13/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.